



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 21.06.2026

1.थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 100 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी महिंद्रा पिकअप व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 21.06.2026 को थाना नॉलेजपार्क पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. आनन्द उर्फ रुद्रेश पुत्र देवेन्द्र सिंह 2. पंकज उर्फ धीरेन्द्र पुत्र देवेन्द्र सिंह 3. मोहित पुंडीर पुत्र संतोष उर्फ पप्पू को पानी की टंकी के पाछे, सेक्टर-153 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 50 लाख रुपये कीमत के IQOO कंपनी के 100 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त फर्जी रजि0नं0- DL7LAH7827 लगी महिंद्रा पिकअप तथा अभियुक्त आनन्द उर्फ रुद्रेश एवं मोहित पुंडीर के कब्जे से एक-एक अवैध चाकू बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. आनन्द उर्फ रुद्रेश पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी नगला फरीद, थाना कोतवाली देहात, एटा, वर्तमान पता बलजीत नगर, थाना पटेल नगर, दिल्ली, उम्र लगभग 32 वर्ष।
2. पंकज उर्फ धीरेन्द्र पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी नगला फरीद, थाना कोतवाली देहात, एटा, उम्र लगभग 50 वर्ष।
3. मोहित पुंडीर पुत्र संतोष उर्फ पप्पू निवासी इकरीकला, थाना सिकन्दराराऊ, हाथरस, उम्र लगभग 34 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 136/2026 धारा 317(4)/317(5)/345(3) बीएनएस, थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त आनन्द उर्फ रुद्रेश का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 121/2018 धारा 407 भादवि, थाना पाण्डव नगर।
2. मु0अ0सं0 080/2018 धारा 407 भादवि, थाना गुड़गांव सिटी।
3. मु0अ0सं0 323/2022 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना बसंतकुंज।

अभियुक्त मोहित पुंडीर का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 507/2016 धारा 414/413 भादवि, थाना हाथरस गेट।
2. मु0अ0सं0 479/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस, थाना सिकंदराराऊ।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के IQOO कंपनी के 100 मोबाइल फोन
2. घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी महिंद्रा पिकअप
3. 02 अवैध चाकू

2.थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 पाजेब, 02 सिक्के, ₹25,000 नकद व अवैध चाकू बरामदा

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 20.04.2026 की रात्रि में सेक्टर म्यू-1 क्षेत्र में स्थित एक बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा उक्त मकान से जेवरात एवं नकदी चोरी किए गए थे।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 21.06.2026 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले अभियुक्त विनोद पुत्र जगपाल को मेट्रो डिपो गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 02 पाजेब (सफेद धातु), 02 सिक्के (सफेद धातु), ₹25,000 नकद व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. विनोद पुत्र जगपाल निवासी ग्राम घोड़ी बछेड़ा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1. मु0अ0सं0 245/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 168/2026 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के 02 पाजेब (सफेद धातु), 02 सिक्के (सफेद धातु)
2. ₹25,000 नकद व 01 अवैध चाकू